संख्या-566/2018/2863/22-2-2017-17(738)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 03 अगस्त, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारगार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्यामवीर सिंह पुत्र श्री रामसिंह निवासी जनपद-शाहजहांपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38242/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-02.05.2017) दिनांक 24.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारगार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्यामवीर सिंह पुत्र श्री रामसिंह, जो- सिउरा, थाना-सेहरामऊ दक्षिणी, जनपद-शाहजहांपुर का रहने वाला है। बन्दी ने अपनी बहन (बिट्टी देवी) की हत्या की रंजिश में दिनांक 11.11.1979 को 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक से गोली मारकर रामनाथ नामक व्यक्ति की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-618/1979 में भा0द0वि0 की धारा- 302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 30.09.1980 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.07.2001 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा। बन्दी द्वारा दिनांक 24.02.2017 तक 15 वर्ष 08 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 11 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने अपनी बहन बिट्टी देवी की हत्या की रंजिश में दिनांक 11.11.1979 को 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर रामनाथ की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के अपराध करने में अशक्त न होने, आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, पारिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त् न होने, इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता एवं समिति द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी श्यामवीर सिंह पुत्र श्री रामसिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी श्यामवीर सिंह (बन्दी संख्या-36271) पुत्र श्री रामसिंह निवासी जनपद-शाहजहांपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-566/2018/2863(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-566/2018/2863/22-2-2017-17(738)/2017

दिनांक 03 अगस्त, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारगार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्यामवीर सिंह पुत्र श्री रामसिंह, जो-सिउरा, थाना-सेहरामऊ दक्षिणी, जनपद-शाहजहांपुर का रहने वाला है। बन्दी ने अपनी बहन (बिट्टी देवी) की हत्या की रंजिश में दिनांक 11.11.1979 को 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक से गोली मारकर रामनाथ नामक व्यक्ति की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-618/1979 में भा0द0वि0 की धारा- 302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 30.09.1980 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.07.2001 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा। बन्दी द्वारा दिनांक 24.02.2017 तक 15 वर्ष 08 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 11 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने अपनी बहन बिट्टी देवी की हत्या की रंजिश में दिनांक 11.11.1979 को 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर रामनाथ की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के अपराध करने में अशक्त न होने, आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, पारिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त् न होने, इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता एवं समिति द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी श्यामवीर सिंह पुत्र श्री रामसिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।